

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2018/00058

दिनांक 24.09.2021

वादी 30/5/2017 को लिखे गए अभिकथित अनरजिस्टर्ड बंटवारानामा की बुनियाद पर विवादित आराजी चक 14 पीबी 'बी' के मु0नं0 69/27 की 12.05 बीघ के 1/4 हिस्से पर हक जता रहा है।

लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 और 49 पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि अभिकथित बंटवारानामा के आधार पर वादी के क्लेम को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह वाद और 24.09.2018 को जारी किया गया स्टे ऑर्डर खारिज किये जाते हैं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

